न्यायालय द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 01/2024 (GCMS/2024/10)
पंजीयन दिनांक - 08.01.2024
आदेश दिनांक - 07.02.2024

श्री ऊंकारलाल (मानावत) आत्मज केसुलाल ब्राह्मण, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर। **बनाम**

1. लोक सुनवााई अधिकारी अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर
2. श्री हीरालाल पिता मदनलाल वेद।
3. श्री पन्नालाल पिता ओगड प्रजापत।
4. श्री विजयलाल पिता ओगड प्रजापत।
5. श्री गणपतलाल पिता मियाराम सोनीयाणवाला।
6. श्री प्रेमशंकर पिता हीरालाल दियावत।
7. श्री कालूलाल पिता खेमराज हीरावत।
8. श्री लक्ष्मीलाल पिता शांतिलाल जोशी।
9. श्री जमनाशकर पिता पुरूषोतम दियावत।
10. श्री अम्बालाल पिता लोगर माली।

उपस्थितिः–

1. श्री विजय ओस्तवाल — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पन्नालाल मारू — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10

द्वितीय अपील अंतर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या (सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012)/03/2023 निर्णय दिनांक 06.11.2023

निर्णय

दिनांक 07.02.2024

- श्री ऊंकारलाल (मानावत) आत्मज केसुलाल ब्राह्मण, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपील दिनांक 27.12.2023 को प्रस्तुत की जो इस न्यायालय

में दिनांक 08.01.2024 को दर्ज की गई। अपीलार्थी अनुसार प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रार्थी की अपील में तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा कार्यवाही करने के कथनों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

- संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्रांक 121 दिनांक 09.01.2024 से श्री ऊंकारलाल (मानावत) आत्मज केसुलाल ब्राह्मण, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर, उदयपुर) को भिजवाते हुए अपील पर जवाब मय अभिलेख चाहा गया।

- प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर ने अपील का जवाब दिनांक 11.01.2024 को प्रेषित कर अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 16.10.2023 को दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र में न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर के आदेश दिनांक 24.01.2023 की अपील माननीय न्यायालय अपर जिला एवं शेसन न्यायाधीश, उदयपुर के न्यायालय में विचाराधीन होने के कथन किये गये है, परंतु अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.01.2023 की पालना नहीं करने से संबंधित होने से अपीलार्थी को इस कार्यालय के आदेश दिनांक 06.11.2023 द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद हासिल करने हेतु निर्देशित किया गया है।

- प्रश्नगत अपील में प्रथम अपील अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.01.2024 को स्वयं उपस्थित होकर अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2023 अपास्त किया जावे।

- अपील पर प्रथम अपील अधिकारी के जवाब, प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। प्रश्नगत प्रकरण न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर में धारा 133-137 सीआरपीसी के तहत प्रकरण संख्या

01/2022 प्रार्थना पत्र अनवान हीरालाल बनाम उंकारलाल में दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश आराजी नम्बर 3642 में पानी के मार्ग में किये गये अवरूद्ध को हटाया जाने से संबंधित होकर तहसीलदार, वल्लभनगर द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं होने से परिवादीगण द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। लोक सुनवाई अधिकारी अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा परिवादीगण के परिवाद को स्वीकार कर तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.01.2023 की पालना सुनिश्चित करने का आदेश दिया एवं उक्त आदेश को प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा यथावत रखा गया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि श्री हीरालाल वेद (परिवादी) द्वारा ग्राम मेनार के आराजी नम्बर 3642 में पानी के मार्ग में किये गये अवरूद्ध को हटाया जाने बाबत प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर में धारा 137-133 सीआरपीसी के तहत प्रकरण संख्या 01/2022 (प्रार्थना पत्र) उनवान श्री हीरालाल वेद बनाम ऊंकार लाल वगैराह में आदेश दिनांक 24.01.2013 से निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, वल्लभनगर को आदेशित किया गया था कि आराजी नम्बर 3642 में पानी के मार्ग में किये गये अवरूद्ध को हटाया जावें, जिससे पानी की निकासी हो सके तथा विपक्षी संख्या 01 को पाबंद किया जाता है कि पानी के मार्ग को अवरूद्ध नहीं करें। प्रश्नगत पानी के मार्ग में होने वाली बाधा व न्यूसेंस के निवारण के प्रयोजन के लिए तहसीलदार, वल्लभनगर को नियमानुसार न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर के आदेश की पालना की जानी न्यायोचित थी। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.01.2023 से उचित निर्णय पारित किया गया है।

- प्ररकण से संबंधित एक अन्य प्रकरण माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, वल्लभनगर में दर्ज प्रकरण संख्या 08/2023 अनवान श्री गणपतलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर व अन्य में निर्णय दिनांक 13.09.2023 से भी प्रकरण से संबंधित आराजी/पानी के मार्ग से अवरूद्ध हटाने के संबंध में निर्णय पारित किया गया है, जो

निम्नानुसार हैः- हस्तगत प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 व पंचायत द्वारा मिलकर इंटरलोकिंग कराई गई है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा न तो ग्राम पंचायत, मेनार को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया और ना ही आराजी नम्बर 3834, 3633, 3632 एवं 3831 के रहवासियों को ही पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया, जिनका पानी एकत्र होना प्रार्थीगण द्वारा अभिवचन किया गया। विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार, वल्लभनगर के निर्देशानुसार विपक्षी संख्या 2 द्वार सी. सी. सड़क निमार्ण मौके पर करवाया गया हो, ऐसा भी प्रार्थीगण का मामला नहीं है। न्यायालय के विनम्र मत में यदि पानी के प्राकृतिक बहाव को दो वर्ष पूर्व स्थानीय निकाय द्वारा सी. सी. सड़क का निर्माण करते हुए समाप्त किया गया था, उस दशा में तत्समय प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही स्थानीय निकाय के समक्ष किया जाना अपेक्षित था। क्योंकि बहाव क्षेत्र का प्रार्थीगण की आराजी के पास भी एकत्र हो रहा है। किन्तु ऐसी किसी कार्यवाही का अभाव है। ऐसी दशा में इस संभावना से इंकार नही किया जा सकता कि पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर प्रार्थीगण द्वारा पानी के बहाव को रोका गया हों। यह तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत अधारा 137-33 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आराजी नम्बर 3642 पानी के मार्ग को अवरूद्ध को हटाया जाना दिनांक 24.01.2023 को आदेशित किया गया था। विपक्षीगण के उक्त तथ्यों का कोई खण्डात्मक अभिवचन प्रार्थीगण की ओर से नही किये गये है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा उक्त न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर के आदेश के पश्चात दिनांक 02.03.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर द्वारा आराजी नम्बर 3642 के संबंध में आदेश पारित किए जाने के संबंध में चतुरतापूर्वक कोई अभिवचन ही नही किए है गये, जबकि उक्त आदेश सहखातेदार श्री ऊंकारलाल की उपस्थिति में किया गया। न्यायालय के विनम्र मत में प्रथम दृष्टया ही प्रार्थीगण द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए चतुरतापूर्वक अभिवचन करते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया यह माना जाएगा कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए चतुरतापूर्ण अभिवचन कर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि निषेधाज्ञा को अनुतोष विधि द्वारा शासित साम्या पर आधारित होता है। साम्या

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जो साम्या चाहता है वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आए।

- विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जो साम्या चाहता है वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आए। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में भी तथ्यों को छुपाते हुए स्वच्छ हाथों से अपील प्रस्तुत नही की गई है। उक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का परिवाद न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.01.2023 की पालना नहीं करने से संबंधित पाया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 06.11.2023 से पारित निर्णय में इस न्यायालय को कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर को निर्णय दिनांक 06.11.2023 को यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी अपने आवेदन/परिवाद के संबंध में सक्षम अधिकारियों के समक्ष पुनः आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर